



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 29-09-2024

थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा दोहरे हत्याकांड से संबंधित 50 हजार के ईनामी अभियुक्त दीपक उर्फ फुर्तीला के कस्बा बालैनी में स्थित मकान में मौजूद चल सम्पत्ति को मा0 न्यायालय के आदेशानुसार 85 बीएनएसएस (कुर्की) के अंतर्गत कुर्क किया गया।

### कार्यवाही-

दिनांक 29.09.2024 को थाना चांदीनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 155/2024 धारा 103(2)/3(5)/ 61(2) बीएनएस में वांछित व 50,000 रुपये के ईनामिया अभियुक्त दीपक उर्फ फुर्तीला पुत्र स्व0 राजेन्द्र निवासी कस्बा व थाना बालैनी जनपद बागपत के विरुद्ध थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय जनपद बागपत से गिरफ्तारी न होने पर नियमानुसार कुर्की वारण्ट अन्तर्गत धारा 85 बीएनएसएस प्राप्त करते हुए कस्बा बालैनी में स्थित मकान की चल सम्पत्ति थाना बालैनी पुलिस बल की मदद से कुर्क कर सम्बन्धित थाने में दाखिल की गयी है।



**नोट:-** उक्त अभियोग में थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा नामित व प्रकाश में आये कुल 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है एवं नामित अभियुक्त दीपक उर्फ फुर्तीला की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ द्वारा 50000 रूपये का ईनाम घोषित किया गया है ।

**आपराधिक इतिहास-**

**दीपक उर्फ फुर्तीला पुत्र स्व० राजेन्द्र निवासी कस्बा व थाना बालैनी जनपद बागपत ।**

1. मु०अ०सं० 148/19 धारा 3/5/12/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
2. मु०अ०सं० 70/06 धारा 380/436 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत ।
3. मु०अ०सं० 82/06 धारा 380/411 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत ।
4. मु०अ०सं० 83/06 धारा 307 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत ।
5. मु०अ०सं० 89/06 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बालैनी जनपद बागपत ।
6. मु०अ०सं० 84/06 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बालैनी जनपद बागपत ।
7. मु०अ०सं० 160/07 धारा 379/411 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
8. मु०अ०सं० 168/07 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
9. मु०अ०सं० 132/07 धारा 109 सीआरपीसी थाना बालैनी जनपद बागपत ।
10. मु०अ०सं० 233/07 धारा 3/4 यू०पी० गुण्डा एक्ट थाना बालैनी जनपद बागपत ।
11. मु०अ०सं० 36/12 धारा 110जी सीआरपीसी थाना बालैनी जनपद बागपत ।
12. मु०अ०सं० 214/16 धारा 110जी सीआरपीसी थाना बालैनी जनपद बागपत ।
13. मु०अ०सं० 161/17 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बालैनी जनपद बागपत ।
14. मु०अ०सं० 218/17 धारा 110जी सीआरपीसी थाना बालैनी जनपद बागपत ।
16. मु०अ०सं० 106/20 धारा 468/471/120बी भादवि व 25/29 आर्म्स एक्ट क्राईम ब्रान्च दिल्ली ।
17. मु०अ०सं० 216/20 धारा 419/468/471 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट क्राईम ब्रान्च दिल्ली ।



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना बिनौली

दिनांक 29.09.2024

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 111/19 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम में वांछित 10000 रुपये की इनामी अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.05.2019 को थाना बिनौली पर वादी रासिद पुत्र हसन निवासी ग्राम दौलतपुर थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.मतीन (पति) पुत्र महबूब, 2.महबूब (ससुर), 3.सलीम



(देवर) उर्फ घोल्लू, 4.शहजाद (देवर) पुत्रगण महबूब व 03 महिला निवासीगण ग्राम दरकावदा थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए तीन लाख रुपये की माँग की गयी तथा माँग पूरी न करने पर तेल डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी बहन बुरी तरह से झुलस गई तथा गम्भीर हालत में मेरठ अस्पताल में भर्ती कराया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 111/19 धारा 498ए/307 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया था ।

नोट- उक्त अभियोग में पीडिता की उपचार के दौरान दिनांक 04.06.2019 को मृत्यु होने के कारण धारा 307 भादवि का विलोपन कर धारा 304बी भादवि की वृद्धि की गई तथा अभियुक्त मतीन को दिनांक 07.07.2019 को गिरफ्तार किया जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

01 महिला ।

नोट- उक्त अभियुक्ता 05 साल से फरार चल रही थी जिसकी गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 10000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था ।

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं इनामी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 111/19 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम में वांछित 10000 रुपये की ईनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक मगनवीर सिंह गिल थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री दिव्य कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 3-है0का0 368 गौरव कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 4-का0 861 दीपक कुमार सर्विलान्स सैल जनपद बागपत।
- 5-म0का0 870 मनीषा पंवार थाना बिनौली जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 29.09.2024

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 246/24 धारा 191(2)/191(3)/109/115(2)/352/351(2)/3(5)/324(4) बीएनएस व 7 सीएल एक्ट के 05 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.09.2024 को थाना छपरौली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम टाण्डा में प्रथम पक्ष के 1-साहिर पुत्र इल्यास कुरैशी, 2-सुएव, 3-रिहान पुत्रगण



अमीर, 4-फिरोज पुत्र जमशेद, 5-तालिव, 6.सारव पुत्रगण इल्यास व द्वितीय पक्ष के 1-अकरम, 2- असलम पुत्रगण यामीन, 3-जिशान पुत्र नफीस, 4-सलीम पुत्र जमील, 5-शमीम, 6-नदीम पुत्र यासीन, 7-यामीन पुत्र जमील एक दूसरे के साथ गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की नीयत से लाठी-डण्डों से मारपीट कर रहे हैं व जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सूचना पर तत्काल थाना छपरौली पुलिस मौके पर पहुंची तथा पुलिस व जनता द्वारा समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन नहीं माने। इस सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 246/24 धारा 191(2)/191(3)/109/115(2)/352/351(2)/3(5)/324(4) व धारा 7 सीएल एक्ट पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0


246/24 धारा 191(2)/191(3)/109/115(2)/352/351(2)/ 3(5)/324(4) बीएनएस व 7 सीएल एक्ट में वांछित 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-**

- 1-सुहेब पुत्र अमीर निवासी ग्राम टाण्डा थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 2-साहिर पुत्र इलयास निवासी ग्राम टाण्डा थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 3-सलीम पुत्र जमील निवासी ग्राम टाण्डा थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 4-अकरम पुत्र यामीन निवासी ग्राम टाण्डा थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 5-जीशान पुत्र नफीस निवासी ग्राम टाण्डा थाना छपरौली जनपद बागपत।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1-उ0नि0 रामअवतार सिंह थाना छपरौली।
- 2-उ0नि0 सतेन्द्र सिंह थाना छपरौली।
- 3-है0का0 410 राजवीर सिंह थाना छपरौली।
- 4-का0 1028 मुरली कुमार थाना छपरौली।
- 5-का0 524 सोपाल थाना छपरौली।





प्रेस नोट  
थाना दोघट

दिनांक-29.09.2024

थाना दोघट पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

रमन पुत्र महिपाल निवासी पट्टी भोजाना करुबा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 अखिलेश यादव थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-का0 1077 सन्तोष कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।